

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-03/2015/...35..... /पटना, दिनांक...16.03.2016

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली, सिवान, मुंगेर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, बेगुसराय, प० चम्पारण, शेखपुरा एवं पूर्णियाँ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रु0 40,53,852/- (चालीस लाख तिरपन हजार आठ सौ बावन) रुपये मात्र।

महाशय,

- उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।
- उक्त पत्र के आलोक में 01 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि से गैर योजना मद के अन्तर्गत राशि आबंटित/व्यय किया जा सकता है।
 - कंडिका-3(2) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
 - संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040001 है।
 - संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 13 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
 - राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।
 - प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 के दायित्वों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवंटन से किया जाय।
 - व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

Deep
16/3/16

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

Keer
16/3/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष- 0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी । मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	20-03	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता		चिकित्सा प्रतिपत्ति	यात्रा व्यय	प्रशिक्षण व्यय	
1	जिला सांख्यिकी कार्यालय	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बक्सर	167366	184970	-	-	1600	-	353936	-	-	-	353936
2	जहानाबाद	38500	94340	-	-	2600	-	135440	-	-	-	135440
3	औरंगाबाद	212184	253296	-	-	3200	-	468680	-	-	-	468680
4	वैशाली	377200	308000	-	-	3000	-	688200	-	-	-	688200
5	सिवान	97021	117197	-	-	-	-	214218	-	-	-	214218
6	मुंगेर	-	-	-	-	3200	-	3200	-	-	-	3200
7	मधुबनी	148440	163220	-	-	1600	-	313260	-	-	-	313260
8	दरभंगा	220000	240000	-	-	4000	-	464000	-	-	-	464000
9	पूर्वी चम्पारण	50221	106751	-	-	-	-	156972	-	-	-	156972
10	बैजपुरा	509398	666666	-	-	1800	-	1177864	-	-	-	1177864
11	प० चम्पारण	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	400
12	शेखपुरा	-	-	-	-	3200	-	3200	-	-	-	3200
13	पूर्णियाँ	11000	63482	-	-	-	-	74482	-	-	-	74482
	कुल योग:-	1831330	2197922	-	-	24600	-	4053852	-	-	-	4053852

(चालीस लाख तिरपन हजार आठ सौ बावन) रुपये मात्र।

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(Signature)
16/12/18